न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 13/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/22

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)	बनाम	अभियुक्त :– 1. श्री संकेत कोठारी पुत्र श्री शैलेन्द्र कोठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रिको, ठीकरीया, बॉसवाडा 2. श्रीमती रेखा पत्नि श्री शैलेन्द्र कोठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रिको, ठीकरीया, बॉसवाडा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 09.05.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा (राज) के द्वारा दिनांक 12–04–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 27–10–2021 को 11.00 ए.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रिको, ठीकरीया, बॉसवाडा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री संकेत कोठारी पुत्र श्री शैलेन्द्र कोठारी उपस्थित थे। विक्रेता की उपस्थिति में कोठारी होम इण्डस्ट्रीज का निरीक्षण करने पर फिल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त 8 प्लास्टिक की केन में 15 किलो आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर वास्ते जॉच हेतु खरीदने की सूचना देते उक्त एक प्लास्टिक की केन से 1 किलो 600 ग्राम फिल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त जॉच हेतु क्रय किया तथा इनकी कीमत 240 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा फिल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त पर फार्म नं. [illegible] वर्णित सभी जानकारियॉ अंकित पायी गयी। जिस पर विक्रेता तथा [illegible] तस्दीक की। नमुना जॉच हेतु खरीदशुदा फिल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त को चार साफ [illegible] जॉच की चौडे मुह की शीशी में बराबर–बराबर मात्रा प्रत्येक में 400–400 ग्राम भरकर शीशी का मुह ढक्कन की सहायता से कसकर एयर टाईड बन्द कर नियमानुसार सील बन्द किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.10 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

उक्त चार नमुना भागो में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2021 / 275–276 दिनांक 29.11.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 261 दिनांक 12.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई **फिल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त** Sub standard food under section 3(1)(zx) of food safety & standards Act 2006 and voilate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf) of food safety & standards Act 2006 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड तथा धारा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया। विक्रेता द्वारा **फिल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त सबस्टेण्डर्ड एवं मिस ब्राण्डेड** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 13–04–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 09.05.2022 को अभियुक्तगणो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए / 2021 / 275–276 दिनांक 29[illegible] एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप[illegible] दिनांक 12.11.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय की गई **[illegible]ल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त** Sub standard food under section 3(1)(zx) of food safety & standards Act 2006 and voilate food safety & standards (Pakaging & Labelling) Regulation 2011], hence it is declar

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.10 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested

Misbranded also under section 3(1(zf) of food safety & standards Act 2006 पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड तथा धारा 3(1)(Zx) के तहत सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणो द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड, धारा 3(1)(Zf) के तहत मिस ब्राण्डेड किया गया **फिल्टर मुंगफली तेल ब्राण्ड हनुमन्त** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 एवं धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **श्री संकेत कोठारी पुत्र श्री शैलेन्द्र कोठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रिको, ठीकरीया, बॉसवाडा को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र), श्रीमती रेखा पत्नि श्री शैलेन्द्र कोठारी मैसर्स – कोठारी होम इण्डस्ट्रीज, जी–175 रिको, ठीकरीया, बॉसवाडा को रूपये 20,000/– (अक्षरे रू. बीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पावंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्यायार्निर्णयन अधिकारी
(अतिo जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.05.10 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested